

## फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

रूपी वादे ..... विपक्षी ..... जयशंकर .....

मुकदमा ..... 53, 88, 1188 एत ..... पत्रावली संख्या .. 6.5/1.9 ..... सन् .....

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा  
सूचनाएं जारी की गईं

29/7/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में तलवी एवं वारिस कायमी में लम्बित हैं। वादीगण को तलवी एवं वारिस कायमी हेतु लगभग 6 वर्ष का समय दिया जा चुका है परन्तु वादीगण द्वारा अब तक तलवी एवं वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं या जानबुझकर प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली